न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।

कार्यालय आदेश संख्या 42/2026, दिनांक 31 अक्टूबर, 2026

दिनांक 01.11.2026 व 08.11.2026 को जजशिप चम्पावत के मुख्यालय मे पदस्थापित समस्त मजिस्ट्रेटों के मुख्यालय से बाहर होने के कारण बेल एवं रिमाण्ड जैसे अत्यावश्यक कार्यों के निर्बाध संचालन हेतु कोई भी मजिस्ट्रेट उपस्थित नही है। **मुख्यालय चम्पावत से संबंधित रिमाण्ड/बेल आदि अतिआवश्यक कार्य दिनांक 01.11.2026 तथा 08.11.2026 को जिलाधिकारी महोदय, चम्पावत द्वारा नामित अधिकारी/मजिस्ट्रेट, द्वारा सम्पादित किए जाएंगे।**

समस्त संबंधित को सूचित किया जाये।

31/10/26

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चम्पावत।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।

पत्रांकः 243/2026 दिनांक 31 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपिः–1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, चम्पावत को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. **जिला मजिस्ट्रेट, चम्पावत।**
2. **पुलिस अधीक्षक, चम्पावत।**
3. **कार्यालय उक्त आदेश को गार्ड फाईल में चस्पा करना सुनिश्चित करे।**
4. सिस्टम ऑफिसर उक्त आदेश को जजशिप चंपावत की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(निहारिका मित्तल गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत।